प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-86/37पी0जे0(आ0)/आर.एस.डी.-5/21, दिनांक 18.08.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 10 चालू कार्यो हेतु सूची के स्तम्भ-10 के अनुसार रू0 30,83,33,000/- (रूपये तीस करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजनाओं पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 83-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था, 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-151/2021/861/23-9-2021-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	03/2021 तक आवंटन / व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बलिया	सिकन्दरपुर सिवानकलां बालूपुर बहुदरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	36/2020/95/23-9-2020-01नाबार्ड (ओ0डी0आर0)/2019, दि0 24.02.2020	9.170	1481.42	375.89	0.00	1105.53	370.36
2	बांदा	बॉदाकालिंजर -नरैनी-मार्ग से गिरवा से खुरहण्ड मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड (ओडीआर)2020, दि0 25.02.2021	9.500	1595.55	219.86	0.00	1375.69	398.89
3	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद जलेसर मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड (ओडीआर)/2020, दि0 25.02.2021	19.90	3786.41	270.14	500.00	3016.27	500.00
4	गौतमबुद्ध नगर	छपरौला से बिसरख मार्ग के कि0मी0 1 से 5 (70) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20	2.695	590.30	325.93	132.00	132.37	14.31
5	गौतमबुद्ध नगर	दुजाना-सादुल्लानगर-खेड़ी-दादरी बाईपास तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर)/2020, दि0 27.03.20	12.300	1255.51	498.62	313.00	443.89	192.79
6	खीरी	मोहम्मदी-बरबर-जहानीखेड़ा (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-17 से 26.00 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	36/2020/95/23-9-2020-01नाबार्ड (ओ0डी0आर0)/2019, दि0 24.02.2020	10.00	1732.15	521.93	302.56	907.66	433.00
7	बुलन्दशहर	अनूपशहर-स्याना-नरसैना-भड़कऊ-ऊँचागांव-भगवन्तपुर कैनाल पटरी (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	13/2019/155/23-9-2019-15नाबार्ड (ओडीआर)/2018, दि0 01.03.2019	20.00	3780.28	2401.04	344.81	1034.43	845.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	03/2021 तक आवंटन / व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वर्ष 2021-22 में अब अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	अयोध्या	खजुरहट से मिल्कीपुर तक (ओ0डी0आर0) मार्ग से विकास खण्ड मुख्यालय हरिंग्टनगंज तक सम्पक्र मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	13/2019/155/23-9-2019-15नाबार्ड (ओडीआर)/2018, दि0 01.03.2019	14.60	2593.09	2463.44	0.00	129.65	124.41
9	कौशाम्बी	करारी शाहपुर मार्ग (अ0जि0मा0)	62/2018/892/23-9-2018-10नाबार्ड (ओडीआर)/2017, दि0 21.08.2018	32.20	4093.65	3883.46	0.00	210.19	119.57
10	कौशाम्बी	कौशाम्बी हिनौता मार्ग (अ0जि0मा0)	62/2018/892/23-9-2018-10नाबार्ड (ओडीआर)/2017, दि0 21.08.2018	21.79	2747.41	2610.04	0.00	137.37	85.00
			कुल योग-	**152.155**	**23655.77**	**13570.35**	**1592.37**	**8493.05**	**3083.33**

(अवमुक्त धनराशि रू0 तीस करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।